

श्री नरेन्द्र सिंह, मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 04.09.2024 को
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या में आयोजित बैठक
का कार्यवृत्त

बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

- 2- सर्वप्रथम कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या एवं शिक्षाविदों द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह, मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड तथा श्री पुलकित खरे, विशेष सचिव, नियोजन विभाग का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड द्वारा बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का परिचय प्राप्त किया गया।
- 3- विशेष सचिव, नियोजन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 अध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालयों के सहयोग से प्रदेश के पूर्वान्चल क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि हेतु चार महत्वपूर्ण सेक्टरों/ विषयों यथा- मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध, कृषि में नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करने तथा गोदामों की उपलब्धता के संबंध में ठोस सुझाव तैयार कराने हेतु बोर्ड को निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुपालन में सम्बन्धित विभागों/शिक्षाविदों से निरन्तर सुझाव प्राप्त किये जा रहे हैं। तत्क्रम में इस बैठक में विषयवार प्राप्त सुझावों को भी उच्च स्तर से अवलोकनोपरान्त सम्बन्धित विभागों के उपयोगार्थ प्रेषित किया जायेगा।
- 4- निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, नियोजन विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों को पूर्वान्चल विकास बोर्ड के गठन, उद्देश्य एवं बोर्ड की लखनऊ/पूर्वान्चल सम्भाग के विभिन्न मण्डलों में आयोजित 15 बैठकों तथा पूर्वान्चल विकास बोर्ड के तत्वावधान में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इसके साथ ही उच्च निर्देश के क्रम में चार महत्वपूर्ण सेक्टरों/ विषयों यथा- मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध, कृषि में नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करने तथा गोदामों की उपलब्धता के सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा तैयार कराये जा रहे सुझावों के सम्बन्ध में विभागों से प्राप्त सूचनाओं तथा माह जुलाई, 2024 में बोर्ड की बस्ती मण्डल, बस्ती में आयोजित बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों से उपस्थित शिक्षाविदों द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यवृत्त के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 अध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड को अवगत कराये जाने पर भी प्रकाश डाला गया।

5- श्री नरेन्द्र सिंह, मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित शिक्षाविदों से संदर्भित चार विषयों पर विषयवार सुझाव प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। इस क्रम में उपस्थित शिक्षाविदों द्वारा विषयवार प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके द्वारा उभर कर आये सुझाव निम्नवत है:-

5.1-प्रदेश के पूर्वान्चल क्षेत्र में जल की बहुलता के परिप्रेक्ष्य में मत्स्य पालन की सम्भावनाओं का पूर्णरूपेण उपयोग कराना

- डा0 शशांक सिंह, सहायक प्राध्यापक, मात्स्यिकी महाविद्यालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निम्न सुझाव दिये गये:-
 - ❖ पूर्वान्चल क्षेत्र में मछली पालन तालाब (1.78 लाख हे0), सामुदायिक तालाब (1.01 लाख हे0), व्यक्तिगत तालाब (0.12 लाख हे0), मत्स्य विभाग के तालाब (0.0138 लाख हे0) तथा सिंचाई हेतु तालाब (0.0156 लाख हे0) हैं। इसी के साथ झील (1.33 लाख हे0) आक्स बो झील (0.51 लाख हे0), जल जमाव वाले क्षेत्र (1.64 लाख हे0), नदीय आर्द्र भूमि (0.61 लाख हे0) तथा नदी एवं नहरें (45000 किमी0) हैं।
 - ❖ पूर्वान्चल क्षेत्र के 28 जनपदों में 87 प्रकार की मत्स्य प्रजातियाँ पायी जाती हैं। अधिकांश मत्स्य उत्पादन तालाबों में पारम्परिक एवं अर्ध-सघन मत्स्य पालन तथा प्राकृतिक जल संसाधनों से सीधे प्राग्रहण द्वारा होता है।
 - ❖ विभिन्न भौगोलिक स्थितियों एवं स्थलाकृति के अनुरूप परिधीय ट्रेंच डिजाईन, केन्द्रीय ट्रेंच डिजाईन, एक तरफा पार्श्व ट्रेंच डिजाईन एवं वक्रनुमा ट्रेंच डिजाईन के अनुसार खेत तैयार कर कम लागत में धान सह मत्स्य पालन कराया जाना।
 - ❖ मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीकों यथा-बायोफ्लॉक एवं रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम को अपनाये जाने हेतु प्रोत्साहित करना।
 - ❖ सब्जी सह मत्स्य पालन हेतु आर्द्र भूमि में मिट्टी के टीलों एवं सब्जी पट्टी का निर्माण कर सब्जी उत्पादन के साथ मत्स्य पालन कराया जाना।
 - ❖ प्राकृतिक जल स्रोतों में मत्स्य पालन हेतु पेन एवं केज कल्चर अपनाया जाना।
 - ❖ मत्स्य जाल के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाना।
 - ❖ मत्स्य बाजारों को सुदृढीकरण कराया जाना।

- ❖ भारतीय सजावटी मछलियों यथा-चंदा नामा, बोटिया, ईल, कोलिसा लेलिया आदि की प्रजातियों का संवर्धन, प्रजनन, देश-विदेश में पहचान, निर्यात प्रोत्साहन तथा एक्वेरियम का निर्माण पर विचार करना।
- ❖ मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि हेतु मत्स्य के मूल्यवर्धित उत्पादों को प्रोत्साहित करना।
- ❖ मछलियों में जैव विविधता जैसे-देशी मांगुर, फ्रेश वाटर प्रॉन (fresh water prawn) को प्रोत्साहित करना।
- ❖ मत्स्य पालकों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित मत्स्य बीज उपलब्ध कराना।
- ❖ मत्स्य पालन हेतु पोषक आहार की उपलब्धता कराना।
- डा० बिजेन्द्र सिंह, कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा मत्स्य पालन सेक्टर में निम्न सुझाव दिये गये:-
 - ❖ देवीपाटन मण्डल, बस्ती मण्डल आदि में बरसाती नालों की प्रचुरता होने के कारण इन बरसाती नालों पर लघु चेक डैम का निर्माण कराकर नालों के किनारे गहरीकरण कराकर मत्स्य पालन किया जा सकता है। इन मत्स्य पालन क्षेत्रों को आसपास के कृषकों के खेतों से जल प्रवाह हेतु जोड़ा जा सकता है जिससे मछलियों को पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो सके।
 - ❖ तालाबों में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण मछलियों के मरने की समस्या को दूर करने हेतु मछली पालन के साथ बतख पालन भी किया जाना चाहिये।
 - ❖ जनपद महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती आदि में कृषकों को खेत में धान की फसल के साथ-साथ कुछ क्षेत्र गहरा करके मछली पालन करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये। इसके साथ ही खेत में मचान बनाकर सब्जी की खेती भी एक साथ की जा सकती है।
 - ❖ मत्स्य पालकों को सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव तथा सोलर पम्प के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
 - ❖ मत्स्य बीज हेतु स्थानीय हैचरियों पर स्थानीय मत्स्य पालकों की निर्भरता रहती है। इन हैचरियों में मछलियों के अण्डे लगभग पांच छः साल बदले नहीं जाते हैं। इन अण्डों को तीन साल में बदलने पर मछलियों के विकास में अधिक वृद्धि होती है।

- ❖ मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य बीज के रूप में जीरा दाने का उपयोग किया जा रहा है जो छोटे होते हैं। मत्स्य बीज के रूप में फिंगर लिंग का उपयोग करने पर यह कम अवधि (सितम्बर से मार्च) में तैयार हो सकेगी जिससे गर्मी के महीनों में तालाब में कम जल की समस्या से बचा जा सकता है।
- ❖ वर्तमान में पूर्वान्चल क्षेत्र में मत्स्य आहार के प्लाण्ट कम होने के कारण मत्स्य आहार महंगा है। अतः अधिक प्लाण्ट लगाकर तथा मत्स्य पालकों को सब्सिडी देकर उनकी आय में वृद्धि करायी जा सकती है।
- ❖ मत्स्य पालकों को दी जाने वाली सब्सिडी समूह आधारित होनी चाहिये।
- बैठक में चर्चा के दौरान विशेष सचिव, नियोजन द्वारा सुझाव दिये गये कि पूर्वान्चल में धान की खेती अधिक होने के कारण कृषकों द्वारा धान के साथ-साथ मछली पालन को अपनाया जाना चाहिये। इस विषय में यह भी उभर कर आया कि मत्स्यपालकों द्वारा सामान्यतः कतला, रोहू आदि मछलियों का पालन किया जाता है जो धान को नुकसान पहुंचाती हैं। अतः धान को न नुकसान पहुंचाने वाली अन्य प्रजाति यथा- कैट फिश के पालन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके साथ ही इनलैण्ड सेक्टर में गाइड लाइन तैयार करने हेतु कोई संस्था नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में मात्स्यिकी विकास बोर्ड के गठन पर भी विचार किये जाना उपयोगी प्रतीत हुआ।

5.2- प्रदेश के पूर्वान्चल क्षेत्र के कृषकों की खेती को पशुपालन, मुर्गी पालन तथा डेयरी से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि कराना

- डा0 एस0एस0 चौहान, प्राध्यापक, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल क्षेत्र में गाय की 'साहीवाल', भैंस की 'मुरा', बकरी की 'जमुनापारी' एवं 'बारबरी', भेड़ की 'मालपुरी' एवं 'नाली' नस्ल कृषकों के मध्य प्रचलित हैं। इस क्रम में डा0 चौहान द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निम्न सुझाव दिये गये:-

पशुपालन

- ❖ किसानों को जलवायु अनुकूल आहार एवं पशु प्रबन्धन के बारे में जागरूक करना।
- ❖ कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्लों का संवर्धन करना।
- ❖ दुग्ध सहकारी संस्थाओं एवं निजी कम्पनियों के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका करना।
- ❖ किसानों को डेरी फार्मिंग में डिजिटल टेक्नालाजी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना।

- ❖ किसानों को डेरी प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- ❖ नियमित टीकाकरण एवं समय-समय पर पशुओं की चिकित्सा जांच का समुचित प्रबंध करना।
- ❖ पशुपालकों को सम्बन्धित सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।

बकरी एवं भेड़ पालन

- ❖ उन्नत नस्लों के चयन एवं उनके पालन हेतु प्रोत्साहित करना।
- ❖ हरा चारा, मिन्नरल मिक्सचर तथा दाने की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- ❖ चारागाहों का उचित प्रबंधन कराना।
- ❖ नियमित टीकाकरण एवं समय-समय पर स्वास्थ्य जांच का समुचित प्रबंध कराना।
- ❖ सामूहिक रूप से बकरी और भेड़ पालन करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- ❖ मांस, दूध एवं ऊन के उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग की जानकारी का प्रचार प्रसार।
- ❖ मोबाइल ऐप्स एवं डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग के बारे में जागरूक करना।

मुर्गी पालन

- ❖ देशी मुर्गियों यथा- आसिल, कड़कनाथ एवं वनराजा नस्लों को प्रोत्साहित करना।
- ❖ किसानों को सामुदायिक स्तर पर पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- ❖ पोल्ट्री फार्मिंग में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ❖ मुर्गियों के लिए संतुलित आहार का उचित प्रबंधन कराना।
- ❖ मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिये समय-समय पर टीकाकरण कराना।
- ❖ मुर्गियों के अंडों एवं मांस की मार्केटिंग हेतु उचित व्यवस्था कराना।
- ❖ कान्ट्रेक्ट फार्मिंग की व्यवस्था, जिसमें आधारभूत सुविधाएं यथा- लेयर, वैक्सीन, दाना कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा कृषक द्वारा मुर्गियां तैयार किये जाने के उपरान्त कम्पनी द्वारा उन मुर्गियों की विपणन व्यवस्था की जायेगी।
- प्रोफेसर जसवंत सिंह, हेड, वेटनरी कॉलेज एण्ड एस0वी0सी0, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा मुर्गियों को मरने से रोकने, कृषकों को ब्रीडिंग हेतु मुर्गा उपलब्ध कराने, पशुधन विभाग तथा लाइव स्टॉक बोर्ड के मध्य समन्वय कराने आदि सुझाव दिये गये।
- डा0 बिजेन्द्र सिंह, कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा पशुपालन एवं दुग्ध सेक्टर में निम्न सुझाव दिये गये:-
 - ❖ भूमिहीन अथवा गरीब कृषकों को मुर्गी पालन हेतु दड़बे (cage), दाना, चूजे आदि देकर उनकी आय में वृद्धि कराना।

- ❖ सरकार द्वारा कृषकों को बकरियां देते समय उन बकरियों से होने वाली प्रथम संतति को उसी गांव के अन्य गरीब कृषक को दिये जाने का प्राविधान किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इससे बकरी पालन में तथा क्षेत्रीय कृषकों की आय में वृद्धि हो सकेगी।
- ❖ दुग्ध सेक्टर में संग्रहित दुग्ध का समय पर प्रसंस्करण होने पर ही यह व्यवसाय लाभकारी होता है अतः मिनी डेरी प्लाण्ट (1000-2000 लीटर) की स्थापना कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- ❖ भैंस के मांस की निर्यात में अधिक मांग के कारण भैंस पालन को प्रोत्साहन दिया जाना।
- ❖ बारहमासी चारा (Perennial feed) के उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना।
- ❖ कृषकों को मक्का बोये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये क्योंकि मक्का की डंठल का उपयोग पशुओं के चारे हेतु किया जा सकता है।
- ❖ पूर्वान्चल में लघु एवं सीमान्त कृषकों की बहुलता होने के कारण सामुदायिक फोडर (Fodder) बैंक बनवाकर सदस्यों की संख्या के आधार पर सब्सिडी की धनराशि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

5.3- प्रदेश के पूर्वान्चल क्षेत्र के कृषकों को नवीन तकनीकों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना

- डा0 के0एम0 सिंह, सह प्राध्यापक/ वरिष्ठ प्रसार अधिकारी, प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निम्न सुझाव दिये गये:-

कृषि भूमि के समतलीकरण हेतु लेजर लैण्ड लेबलर तकनीक का उपयोग

- ❖ कृषि भूमि का समतलीकरण करने हेतु लेजर लैण्ड लेबलर तकनीक के अपनाने से विविध लाभ यथा- जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि से लगभग 25-30 प्रतिशत जल की बचत, सिंचाई जल एक समान लगने के कारण फसल बढ़वार समान होना, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिलना तथा लागत मूल्य में कमी आना आदि होते हैं। अतः कृषकों को उनकी भूमि के समतलीकरण हेतु लेजर लैण्ड लेबलर तकनीक के अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

कृषि कार्य में ड्रोन तकनीक का उपयोग

- ❖ कृषि ड्रोन के उपयोग से कीटनाशक, फफूंदनाशक, जल विलेयक उर्वरक, नैनो यूरिया, नैनो डी0ए0पी0 एवं अन्य कृषि निवेशों का पर्णीय छिड़काव कम समय

तथा उचित मात्रा में किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सितम्बर/अक्टूबर माह में गन्ने में लगने वाले रोग व कीट के लिये फफूंदनाशी व कीटनाशी का छिड़काव, आलू वाले क्षेत्र में अधिक तापमान कम होने व कोहरे की स्थिति में कम समय में अधिक क्षेत्रफल में छिड़काव किया जा सकता है।

- ❖ ड्रोन तकनीक के उपयोग से पूर्वान्चल में चल रहे कृषि मजदूर की कमी विषयक समस्या का भी हल हो सकता है।
- ❖ ड्रोन से खेत का विस्तृत सर्वेक्षण कर पौधरोपण, पानी की आपूर्ति, मृदा स्वास्थ्य की निगरानी तथा खेत के विस्तृत नक्शे बनाये जाने पर विचार करना।
- ❖ नदियों के किनारे अथवा ऐसे स्थान जहां ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण का प्रयोग किया जाना सम्भव नहीं होता है, पर नमी की दशा में फसलों अथवा पेड़ पौधों की बीज बुआई ड्रोन के माध्यम किये जाने पर विचार करना।
- ❖ कृषि ड्रोन के उपयोग से कृषि जगत में ड्रोन पायलट, ड्रोन तकनीक सहायक, ड्रोन साफ्टवेयर डेवलपर के रूप में रोजगार सृजन सम्भावित होना।

सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) तकनीक का उपयोग

- ❖ कृषकों द्वारा सामान्यतः उपयोग की जा रही नाली सिंचाई विधि में जल उपयोगिता 60-70 प्रतिशत रहती है जबकि ड्रिप सिंचाई विधि में यह 95-100 प्रतिशत तथा स्प्रिंकलर सिंचाई विधि में लगभग 80-85 प्रतिशत आती है। अतः ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग करने से कृषकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ जल की बचत भी सम्भव हो सकेगी।
- ❖ इस तकनीक हेतु आर्थिक सहयोग के लिये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से कृषकों को लाभान्वित कराया जा सकता है।

कृषि यंत्रीकरण से फसल अवशेष प्रबंधन

- ❖ पूर्वान्चल में धान-गेहूँ फसल चक्र को प्रभावी रूप से अपनाने के कारण गिरती उर्वरा शक्ति (ओर्गेनिक कार्बन, नत्रजन, फास्फोरस, पोटैश, गौंण पोषक तत्व- कैल्शियम, मैंगनीशियम, सल्फर एवं सूक्ष्म पोषक-जिंक, लोहा, कॉपर, मैंगनीज, बोरान, क्रोमियम, मोलीब्डेनम आदि) की कमी एवं वातावरण में बढ़ते प्रदूषण के लिए आवश्यक है कि फसल अवशेष प्रबन्धन मशीनों के माध्यम से यथा स्थान (इन-सीटू) या खेत से बाहर निकालकर (एक्स-सीटू) के माध्यम से फसल अवशेष प्रबन्धन किया जा सकता है।

- ❖ इस तकनीक से खेत की बुआई 10 से 15 दिन पूर्व हो जाती है, लागत मूल्य में लगभग 6 से 7 हजार प्रति एकड़ में कमी, फसलों में कम खरपतवारों का जमाव, सिंचाई में पानी की बचत एवं पोषक तत्वों के पुनः चक्रीकरण से उर्वरकों की बचत होती है। इस तकनीक से पूर्वान्चल के किसानों की आय में वृद्धि, जमीन की उर्वरा शक्ति में सुधार एवं ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर से पूर्वान्चल विकास में सहयोग किया जा सकता है।
- ❖ सरकार द्वारा कृषि मशीनीकरण पर अनुदान भी दिया जा रहा है। इस प्रकार के मशीनरी बैंक ग्राम पंचायत अथवा के0वी0के0 स्तर पर खोले जा सकते हैं।

कृषि मशीन (सीडड्रिल/प्लान्टर) से बुआई कार्य

- ❖ पूर्वान्चल क्षेत्र में कृषक सामान्यतः छिटकवा विधि से बुआई कार्य करते हैं जिसके कारण बीज की मात्रा अधिक एवं उर्वरक की उपयोग दक्षता कम होती है तथा फसल का उत्पादन भी अच्छा नहीं होता है।
- ❖ फसलों की बुआई सीडड्रिल अथवा मल्टी क्रॉप प्लान्टर से करने पर निर्धारित बीज दर के प्रयोग के साथ अधिक जमाव प्रतिशत एवं प्रयुक्त उर्वरक बीज के ठीक नीचे जमीन में पहुँचने से उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है एवं साथ ही फसल कतार में बुआई होने के कारण फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। किसानों की लागत मूल्य में कमी, शुद्ध लाभ में वृद्धि के साथ अन्तः सस्य क्रियाओं को करने में आसानी हो जाती है। इस तकनीक को बढ़ावा देने से पूर्वान्चल क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि सम्भावित है।

धान उत्पादन के सीधी बुआई विधि

- ❖ पूर्वान्चल क्षेत्र में धान की बुआई अधिकतर रोपण विधि से करते हैं जिसमें अधिक मानव श्रम, अधिक जल तथा भूमि में लेव लगाकर करते हैं, जिसके कारण अधिक लागत मूल्य आता है। इस विधि में अधिक सिंचाई जल की आवश्यकता के साथ ही घटते मानव श्रम की समस्या का सामना करना पड़ता है।
- ❖ इस समस्या के समाधान के लिए धान की "सीधी बुआई विधि" से बुआई कराने पर धान की लागत मूल्य में कमी, धान की लाइन में बुआई, कम पानी की आवश्यकता होती है। इस विधि में खरपतवार की समस्या होती है, जिसके लिए खरपतवार प्रबन्धन प्री इमरजेंस के रूप में पेन्डीमथलीन 3.33 लीटर प्रति हेक्टेयर

एवं पोस्ट इमरजेंस के रूप में पेनोक्सुलम + साहेलोफाप-बुटाइल 1.00 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 18 से 22 दिन पर कर देते हैं।

- ❖ इस विधि को अपनाने से किसान की शुद्ध आय में वृद्धि, मानव श्रम की बचत, जल बचत के साथ ग्रीन गैस का उत्सर्जन न होना आदि लाभ मिलेंगे।

जैव उर्वरक एवं जैव रसायन का प्रयोग करना

- ❖ पूर्वान्चल क्षेत्र में खेती में अधिक रसायनिक उर्वरक, कीटनाशी तथा फफूंदनाशी के प्रयोग से मानव जीवन में गम्भीर बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। ऐसी बीमारियों से जनसामान्य को बचाने के लिए ऐसे कृषि उत्पादों की आवश्यकता है जिसमें रसायनों, कीटनाशी अथवा फफूंदनाशी का प्रयोग नहीं किया गया हो।
- ❖ इसके लिए जैव उर्वरक, जैव रसायनों का प्रयोग कर जैविक कृषि उत्पाद पैदा करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- ❖ इसके साथ ही जैविक उत्पाद बिक्री केन्द्र की स्थानीय बाजार में व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे कृषकों को उनकी लागत से अधिक विक्रय मूल्य प्राप्त हो सके। इस तकनीक को अपनाने से छोटे व मध्यम श्रेणी के किसान अधिक लाभान्वित होंगे।

प्राकृतिक खेती

- ❖ बढ़ते कुपोषण एवं बिगड़ते स्वास्थ्य के दृष्टिगत फसल उत्पादन प्राकृतिक विधि से किये जाने की आवश्यकता है। इस विधि से फसल उत्पादन में जीवामृत, बीजामृत, घन बीजामृत, सतपर्णी अर्क, वृहमास्त्र, अमृतपानी, नीमास्त्र, संजीविक आदि का प्रयोग करते हैं। इस विधि से फसल उत्पादन करने से भूमि में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है जो फसल में अवरोधी क्षमता पैदा करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा जमीन में उपलब्ध पोषक तत्वों (नत्रजन, फास्फोरस, पोटैश, जिंक, लोहा आदि) की उपलब्धता एवं ऑर्गेनिक कार्बन में वृद्धि होती है।
- ❖ इसमें श्रीअन्न (मिलेट्स) अथवा अन्य ऐसी फसलों का उत्पादन करते हैं, जिनका पोषक मान अधिक हो। इस विधि से लागत मूल्य में कमी आती है तथा किसानों को अपने उत्पाद का अधिक मूल्य भी मिलता है।

वर्षा जल संचयन हेतु तालाबों का निर्माण कर सिंचाई एवं मछली पालन किया जाना

- ❖ कृषकों द्वारा खेतों के निश्चित भू-भाग के लिए तालाब का निर्माण कर वर्षा जल का संचय किया जाना चाहिए जिसका उपयोग कृषि उत्पादन में सिंचाई जल के रूप में तथा मछली पालन में किया जा सकता है।

- ❖ इस प्रकार गिरते भू जल स्तर को रोका जा सकता है तथा सिंचाई पर ऊर्जा व्यय भी कम किया जा सकता है। तालाबों में मछली पालन से किसान अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकेंगे।

सब्जी उत्पादन मचान, सहारा (स्टेकिंग) या उठी हुई क्यारी विधि से किया जाना

- ❖ वर्षा काल में कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन मचान पर करना चाहिए। मचान पर करने से सब्जियों का उत्पादन अधिक एवं गुणवत्तायुक्त होता है।
- ❖ कुछ सब्जियां जैसे टमाटर कम बढ़वार वाली होती हैं। ऐसी सब्जियों का उत्पादन स्टेकिंग विधि से करने पर कीट-रोग व्याधि का प्रकोप कम होने के साथ ही सब्जियों का उत्पादन अधिक एवं गुणवत्तायुक्त होता है।
- ❖ ऐसी सब्जियां जिनकी सामान्य बढ़वार होती है, उनकी खेती उठी हुई क्यारियों पर करनी चाहिए। इससे जड़ गलन व फल गलन जैसी बिमारियों से बचाव होने के साथ-साथ सब्जियों का उत्पादन अधिक एवं गुणवत्तायुक्त होता है।
- ❖ उक्त सभी विधियों में परम्परागत तरीके से उत्पादित की जाने वाली सब्जियों से अधिक उत्पादन, जल व उर्वरक की बचत तथा औसतन अधिक लाभ प्राप्त होता है।

गन्ना उत्पादन में अन्तः फसल/सह फसल के साथ समय पर बुआई को बढ़ावा

- ❖ पूर्वान्चल क्षेत्र में कृषकों द्वारा गन्ना काफी क्षेत्रफल में लगाया जाता है। प्रायः देखा गया है कि यहाँ के किसान गन्ने की फसल की बुआई बिलम्ब से, लाइनों की कम दूरी तथा बिना किसी सह फसल के साथ करते हैं, जिसके कारण गन्ना उत्पादन कम तथा लागत मूल्य अधिक होने से कृषकों के शुद्ध लाभ में कमी आ जाती है।
- ❖ पूर्वान्चल क्षेत्र के किसानों को गन्ने की शरदकालीन बुआई 15 सितम्बर से 25 अक्टूबर के मध्य एवं बसन्तकालीन गन्ने की बुआई 15 फरवरी से 31 मार्च तक कर लेनी चाहिए। गन्ने की बुआई ट्रेंच अथवा कम से कम 3 फीट की दूरी पर लाइनों में किया जाना चाहिए।
- ❖ शरदकालीन गन्ने के साथ सह फसल के रूप में तोरिया, मसूर, आलू, सब्जी मटर, सब्जी चना, वांकला आदि तथा शरदकालीन सब्जियां जैसे-मूली, गाजर, राजमा, मेथी, पालक, धनियां को उगाया जाना चाहिए।
- ❖ बसन्तकालीन गन्ने के साथ उर्द, मूंग, कद्दू वर्गीय सब्जियों, तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि की सह फसल उत्पादित करने से किसानों को मध्य अवधि में आय

प्राप्त हो जाती है। गन्ने के साथ ली गई सह फसल से गन्ने का लागत मूल्य निकल आता है तथा गन्ने का औसत उत्पादन अधिक मिलता है। अतः इस कारण किसानों को शुद्ध लाभ अधिक हो सकता है। साथ ही अन्तः/सह फसल लगाने से किसानों को अपने यहां ही वर्ष भर रोजगार भी मिलता रहता है।

- डा0 बिजेन्द्र सिंह, कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा कृषि में नवीन तकनीकों को प्रोत्साहन विषयक सेक्टर में निम्न सुझाव दिये गये:-
 - ❖ ग्राम पंचायत स्तर पर ही कृषि में नवीन तकनीक अपनाने वाले जागरूक किसानों को अन्य किसानों को जागरूक करने हेतु वालंटियर के रूप में तैयार किया जाना चाहिए।
 - ❖ कृषि फसलों की औसत उत्पादकता बढ़ाने, कृषि कार्य में प्रोत्साहन दिये जाने तथा अनुश्रवण किये जाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने हेतु विचार होना चाहिए।
 - ❖ फसलों की अगैती प्रजातियों का उपयोग किया जाना।
 - ❖ फसल सघनता में वृद्धि कराना।
 - ❖ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) के आधार पर उभर कर आई भूमि की स्थिति के अनुसार कृषक को दिये जाने वाले इनपुटों में सब्सिडी का निर्धारण किया जाना।
 - ❖ रसायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग को हतोत्साहित करने पर विचार करना।
 - ❖ हरी खाद (green manure) को प्रोत्साहित करना।
 - ❖ प्रत्येक ग्राम में मौन पालन हेतु प्रोत्साहित करना।
 - ❖ कृषकों द्वारा भूमि के समतलीकरण कराने पर इन्सेन्टिव दिये जाने पर विचार करना।
 - ❖ कृषकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।

5.4- विभिन्न सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर प्रदेश के पूर्वान्चल क्षेत्र में ग्राम स्तर तक गोदामों की उपलब्धता कराना

- डा0 एस0सी0विमल, प्राध्यापक, बीज विधायन संयंत्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निम्न सुझाव दिये गये:-

- ❖ पूर्वान्चल क्षेत्र की प्रमुख फसलें धान, गेहूँ, सरसों, उर्द, मूंग, मूंगफली, तिल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, अलसी, चना, मटर, मसूर एवं अरहर हैं। इन फसलों के अवैज्ञानिक भण्डारण, कीटों, कृन्तकों, सूक्ष्म जीवों आदि के कारण कुल खाद्यान्न का लगभग 10 से 20 प्रतिशत कटाई के बाद नुकसान हो जाता है।
- ❖ फसल उत्पादों के उचित भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण होने से कृषकों को फसल का नुकसान कम होने, उपज की गुणवत्ता बनाये रखने, विवशतावश कम दाम पर फसल बिक्री न करने जैसे विविध लाभ मिलते हैं।
- ❖ प्रत्येक ग्रामसभा में 3-5 हजार कुन्तल क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किये जाने पर विचार किया जाना ।
- ❖ गोदाम हेतु स्थल का चयन ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की सहायता से किया जाना।
- ❖ गोदाम का डिजाइन स्थानीय आवश्यकताओं एवं जलवायु को ध्यान में रखते हुए किया जाना।
- ❖ गोदाम को नमी, कीट एवं अन्य हानिकारक कारकों से बचाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना ।
- ❖ गोदाम निर्माण हेतु धनराशि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं विभिन्न कृषि विकास योजनाओं से प्राप्त करने अथवा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप माडल पर कराने पर विचार करना।
- ❖ किसानों को गोदामों के सही उपयोग और भण्डारण तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना।
- ❖ जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- डा० बिजेन्द्र सिंह, कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा गोदामों की उपलब्धता के संबंध में निम्न सुझाव दिये गये:-
 - ❖ गोदामों का निर्माण प्रथम चरण में विकासखण्ड स्तर पर किया जाना।
 - ❖ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप माडल पर क्षेत्र के सम्पन्न कृषकों को गोदाम निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
 - ❖ क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों एवं सब्जियों के भण्डारण की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से गोदामों का निर्माण किया जाना।

- 6- विशेष सचिव, नियोजन द्वारा शिक्षाविदों द्वारा दिये गये विविध सुझावों यथा-मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध सेक्टर में विपणन व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने, लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी को सामुदायिक आधार पर दिये जाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को कम करने तथा गोदामों का निर्माण विकासखण्ड/ न्याय पंचायत स्तर पर कराये जाने आदि को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नीतिगत बताते हुए विश्वविद्यालय द्वारा बैठक के कुशल आयोजन हेतु आभार व्यक्त किया गया।

अन्त में कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के धन्यवाद के उपरान्त मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड द्वारा बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।



पुष्कित खरे
विशेष सचिव

क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग
(सचिवालय-पूर्वान्चल विकास बोर्ड)
राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) उ0प्र0,
योजना भवन, लखनऊ

संख्या: 79 /पी0बी0/क्षे0नि0प्र0/2024 दिनांक: 23 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पूर्वान्चल विकास बोर्ड के सभी मा0 पदाधिकारीगण।
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित विभाग/ उपस्थित अधिकारीगण।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(पुष्कित खरे)
विशेष सचिव

श्री नरेन्द्र सिंह, मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या में आयोजित बैठक में प्रतिभागियों की उपस्थिति।

1. श्री नरेन्द्र सिंह, मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड।
2. डा0 बिजेन्द्र सिंह, कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. श्री पुलकित खरे, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री विजय कुमार अग्रवाल, निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग/सचिवालय पूर्वान्चल विकास बोर्ड, उ0प्र0।
5. डा0 पी0 एस0 प्रमाणिक, कुलसचिव, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
6. डा0 सी0 पी0 सिंह, डीन, मात्स्यिकी महाविद्यालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
7. डा0 प्रतिभा सिंह, डीन, कृषि महाविद्यालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
8. डा0 जसवंत सिंह, प्रोफेसर एण्ड हेड, वेटेरीनरी कालेज एण्ड एस0वी0सी0, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
9. प्रो0 संजीत कुमार, कृषि महाविद्यालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
10. प्रो0 आर0आर0 सिंह, अपर निदेशक प्रसार, प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
11. डा0 एस0एस0 चौहान, प्राध्यापक, एल0पी0एम0 विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
12. डा0 एस0सी0 विमल, ज्वाइंट डायरेक्टर (एस0 एण्ड एफ0), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
13. श्री तेजई प्रसाद, वरिष्ठ शोध अधिकारी, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, नियोजन विभाग, उ0प्र0।
14. डा0 ललित कुमार सिंह, वरिष्ठ शोध अधिकारी, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, नियोजन विभाग, उ0प्र0।
15. श्रीमती डुमनेश दीक्षा साहू, उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
16. डा0 के0एम0 सिंह, सह प्राध्यापक /वरिष्ठ प्रसार अधिकारी, प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
17. डा0 शशांक सिंह, सहायक प्राध्यापक, मात्स्यिकी महाविद्यालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
18. डा0 वी0के0 चौरसिया, सहायक प्राध्यापक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।